Government to extend the necessary help to the Government of Tripura. In the meantime, due to repeated incidents of attack by the extremists leading to killings, injuries, abduction of innocent people and extortion, of huge money, the ethnic situation in the State has become tense. The State Government with the available forces is determinedly working towards maintaining ethnic harmony in the State. It must be said to this point of time that way back in the sixties a blueprint "Operation Brahmputra" was prepared and the imperialist agencies sought to eliminate the tribal people of the North-Eastern States and to disturb and destroy India's national intergrity. The extremist forces of Tripura are raising the slogan of independent Tripura. The terrorist activities are not a problem of law and order in the State. It is a threat to the national unity and integrity of the country. If the Central Government chooses to remain indifferent to the situation in the State and thinks of making some narrow political and partisan gains from it, the result would be disastrous for the whole country. In such a situation I ask the Government of India to immediately restore and deploy the forces which were withdrawan from the State and to deploy five more battalions of Army in Tripura to contain the extremist activities in the State effectively. Simultaneously, I would like to request the Central Government to deploy more battalions of BSF for manning the long international border. I would also request the Government to issue a direction for using BSF in counter-insurgency operations and also assit the State Government in modernising the State forces with sophisticated arms and other logistic support like vehicles, helicopters, etc. and also reimburse the security related expenditure. Thank you.

Reported Sale of Women in Andhra Pradesh

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, with you permission, I would like to draw the attention of the House and the Government to a shocking news item appeared in today's *The Indian Express*. The headline is, "Women are sold off for Rs. 5,000 in Andhra auction. At Eluru, women are leased out on one-year contract. Their assignment: prostitution."

Sir, just half an hour before, we were discussing about child prostitution in the form of a question. The hon. Minister of Human Resource Development was explaining in detail what steps they were going to take to mobilise social forces, to involve NGOs and to strengthen the law enforcing machinery. They are going to take a series of steps to prevent such a thing. Sir, I don't want to quote the whole news story. But what has appeared in the paper is really shocking. It is stated here that not only at Eluru, but at several other places of Andhra Pradesh such auctions take place regularly. It is also mentioned here that auctions are conducted quarterly. It is taking place four times in a year. Eight to ten girls are auctioned for one year. The bid varies from Rs. 5,000 to Rs. 13,000. It says:

> "Residents of Eluru do not want to speak on record, but here's how a local described the deal: "A woman whom the highest bidder has brought will go with him on a contract for doing 'business' at his place for a year. During the one-year period, she will be in the custody of the bidder. It is his responsibility to provide accommodation and security to the woman. On expiry of the contract, the girl will return to her place."

There are elaborate arrangements as if some merchandise is being transacted. If there is any default, there is also a system of penalising and putting a heavy fine on the buyer or on the bidder, whoever is involved.

My point is, there is the Immoral Traffic Prevention Act, 1956. This Act is very much in operation in Andhra Pradesh. Any offence committed under this Act is cognizable. This type of most obnoxious auction is taking place. Surely, there cannot be a clandestine transaction. All these things are taking place in broad daylight, in the knowledge of a large number of people. What is the State Administration doing? Is it not their responsibility to take cognisance of it, to prevent it and to take action against those who are indulging in this type of activity? There is

no doubt that there are social reasons, and, for that, definitely a socio-economic approach has to be taken. Auctions of women wings are taking place just like the slave trade which happened in the 19th century. That was in the early part of the 19th century, in 1832, during the time of the British Prime Minister, Robert Peel. At that time, slavery was abundant in U.K. itself. Today, when we are entering into a new century, into a new millennium, in one of the most advanced States, where the Chief Minister claims that he believes in hi-tech and he is building a hi-tech city in Hyderabad such a thing is happening. Should he not take note of this very fact? (*Interruptions*)

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Have you got any doubt about the building of hi-tech ...(*Interruptions*) Why are you mentioning it? ...(*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am not making any reflection on him. ...(*Interruptions*)

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: It is a false report. Basically, he is making politics out of it. ...(*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, this is highly objectionable. ...(*Interruptions*) It is highly objectionable.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: What were your people there doing? They never raised it in the Assembly. ...(*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Why are you unnecessarily getting provoked? ...(*Interruptions*)

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: It is a completely false report. ...(*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: What is this? He must take his seat. ...(*Interruptions*)

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: No Congressmen took up that matter. ...(*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: There is nothing objectionable. ...(*Interruptions*) Don't try to shout. There is a decorum ...(*Interruptions*) I am not going to yield. ...(*Interruptions*)

श्री जितेन्द्र प्रसाद (उत्तर प्रदेश): सर, इनको बीच में बोलने से रोकिए। ...(व्यवधान)...

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Do you know that the Government is not taking action? ...(*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am not going to yield. What is this? ...(*Interruptions*) What does he think of himself? ...(*Interruptions*) Sir, you are conducting the business. If I say anything objectionable, you should intervene ...(*Interruptions*) I am not going to yield. ...(*Interruptions*)

श्री सोलीपेटा रामचन्द्र रेड्डी: सर, यह क्या बोल रहे हैं? हाई-टैक की क्या बात है? ...(व्यवधान) हाल ही में स्टेट असेम्बली का सेशन हुआ था, वहां पर यह मसला नहीं उठाया गया था। यह बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। ... (व्यवधान) ...

†سر یہ کیا بول رہے ہیں - ہائی ٹیک کی کیا بات ہے - ... "مداخلت" ... حال ہی میں اسٹیٹ اسمبلی کا سیشن ہوا تھا - وہاں پر یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا تھا - یہ بالکل غلط رپورٹ ہے ... "مداخلت" ...]

SHRI PRANAB MUKHERJEE: As a responsible Member, he should have condemned this ...(*Interruptions*) What is this? ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If you want to speak, then I will give you time.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: He has no business. It is the responsibility of the Administration. It is the responsibility of the Government of the day. It is the responsibility of the State Government. It is the responsibility of the Chief Minister ...(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Let him complete.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: And the Chief Minister must be held responsible because he runs the administration. He symbolises the administration. If there is any lapse in administration—there is a gross lapse, a serious lapse, on the part of the administration of Andhra Pradesh—when they could not prevent this type of an obnoxious, this type of a heinous activity, this gentleman, instead of

†[ ]Transilteration in Arabic Script

feeling sorry, gets up and disturbs the other Member while he is making his observation. It is totally uncalled for.

I demand that the Union Home Minister should call for all the relevant information from the State Government and tell us whether this newsitem is true or not. If it is true, definitely, the Members of this House, as the Council of States, have every right to know as to what action the Andhra Pradesh Government is going to take. Therefore, I should demand that the Union Ministry, the Union Home Ministry take note of this fact, draw the attention of the State Government to this, assertain full facts from the State Government, and share the information with the House in this century itself. Today, we cannot allow this type of things to happen. But somebody is simply getting up and trying to disturb when a Member is drawing the attention of the House to such a serious issue. This is no reflection on the Chief Minister.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Who are you to talk about him like that?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You should be ashamed of yourself. I will not allow you to speak.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, I am on a point of order. Sir, the hon. Member of the House was speaking. As per the rules as you are well aware if any member objects or interrupts while another Member is speaking, it is nothing but an interference or a breach of rule. We have seen Members interrupting sometimes, but not in this way. It is most objectionable. If it is allowed like this, when an hon. Member of this House is interrupting in such an aggressive manner then, Sir, you have to give some ruling on this.

MR. CHAIRMAN: No ruling on this is required.

SHRI R. MARGABANDU (Tamilnadu): We know that cattle is being taken to the shanties and they are sold but now after 50 years of independence, it is a sad state of affairs that women are taken to the shanties and are sold in public auction. It is said that some of the women are from the nearby towns such as Tenali, Nidadavole, Velpur, Tanuku and Tadepalligudem. Eight—ten women go on yearly 'contracts' after every quarterly auction. So this is a very sorry state of affairs that women are being sold. It is said, Sir, that a woman is sold for Rs. 5000/- and she is re-auctioned, or, this goes upto Rs. 30,000/- and the contractor gets Rs. 5000/- as commission for selling the girl for Rs. 30,000/-. It is also said, Sir, that a lady earns Rs. 500/- per day and 60 per cent of it is taken by the bidder and 40 per cent is given to the woman in which work she would earn him Rs. 500/- per day. Except in prostitution, in no other business, no other employment, will a person earn Rs. 500/-. A public auction is held every quarter. There are quarrels among the bidders themselves. Such auctions take place; such things are going on. I would like to know what the Government is going to do. There is the suppression of Immoral Traffic Act, and the cases are booked under this Act. But what about this? When the women are sold for prostitution, what is the effect of this Act? I would like to know whether the Government is implementing this Act, or, whether the Act is meant only to put in show cause. I would like to impress strong action to be taken. The Central Government must come forward with a statement as to what action has been taken against this sort of activities and whether any prosecution has been launched against the persons who are doing this auctioning.

Thank you.

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): सर, अब मैं बोलना चाहूंगी।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकला पांडेय। आपका भी नाम लिखा हुआ है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): सर, सबसे पहले मैं प्रणव मुखर्जी द्वारा उठाये वक्तव्य का समर्थन करती हूं और अपने आपको सम्बद्ध करते हुए खेद प्रकट करना चाहती हूं। इस देश में आजादी के पचास वर्ष बाद भी ऐसी त्रासदियां घटती हैं और बुरी तरह दिल दहला देती हैं। इनको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आन्ध्र के अतिरिक्त और भी कुछ प्रदेश हैं, जहां सुदूर गांवों में इस तरह की घटनाएं घट रही होंगी। लेकिन जब तक ये अखबारों में नहीं आती हमें मालूम नहीं पड़ता। मैं यहां केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर इस

तरह की घटनाएं घट रही हैं तो इनपर अंकुश लगाया जाए, पता लगाया जाए। ऐसी दर्दनाक घटनाएं महिला समाज के लिए अत्यंत दुखद हैं जहां महिलाएं आज भी बिक रही हैं। खुले आम नीलाम हो रही हैं, चौराहों पर नग्न करा कर कवायत कराए जा रहे हैं। यह केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो उन पर रोक लगाई जानी चाहिये। धन्यवाद।

डा॰ श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात): सभापति महोदय, यह बड़ी दुखद घटना है कि महिलाओं के बाज़ार बनाए जाते हैं और इसमें नीलाम करके महिलाओं को बेचा जाता है। आज़ादी के 50 वर्ष के बाद भी महिलाओं को बेसिक ह्यूमेन राइट्स से नकारा जाता है और न उनको नागरिक की हैसियत से स्वीकार किया जाता है। यह आन्ध्र प्रदेश की घटना है जिसमें युवा महिलाओं जिनकी आयु 16 से 30 साल है, उनको 5 हजार से 13 हजार रुपये में बेचा जाता है। एक एक साल का कंट्रेक्ट होता है और इस कंट्रेक्ट में अगर कुछ गलती हुई तो इसका भी प्रावधान किया जाता है जैसे कि महिला कोई चीज़ हो जो नीलाम हो सके। यह रिवाज अकेले आन्ध्र प्रदेश में है, ऐसा नहीं है। गुजरात में बनासकांठा में बारिया कम्युनिटी का एक गांव है। उस गांव में हर एक लड़की को ट्रेडिशन के तौर पर प्रोस्टीट्यूट बनाया जाता है। इसके सामने सारी कानूनी कार्यवाहियां भी हो गई हैं। सोशल वर्क करने वाले इंस्टीट्यूशंस ने, सोशल वर्कर्ज़ ने उस गांव को अडॉप्ट कर के 25-25, 30-30 साल तक काम किया है लेकिन सब निष्फल हो गये हैं। सरकार ने उन लोगों को आल्टरनेटिव इम्प्लायमेंट देने के लिए हर-एक फेमली को ज़मीन भी दी है लेकिन यह भी कुछ कम पड़ गया है। अब तो कानूनी कार्यवाही ही आप कर सकते हैं। हमारे इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट में सुधार कर के ऐसे ट्रेडिशन को नाबूद करने के लिए तात्कालिक प्रावधान करना जरूरी हो गया है। अगर यह नहीं होगा तो सरकार भी अपने हाथ मजबूत नहीं कर सकती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अपना ध्यान इस तरफ केन्द्रित करना चाहिये। यह अकेले गुजरात की बात नहीं है, राजस्थान में भी पूरी सरानीया कम्युनिटी है जिसमें यह ट्रेडिशन चलती आ रही है। मुझे नाम याद नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहां महिलाओं की बिक्री होती है या वेश्या बनाया जाता है या नीलाम किया जाता है। एक स्त्री को एक स्त्री की तरह से या देश के नागरिक की तरह से हमारे समाज ने अभी स्वीकार करना सीखा नहीं है, हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है, सरकार भी स्वीकार नहीं करती है। यह कानून कांस्टीट्यूशन में आंख बन्द कर के रखा है, यह हमारी बड़ी कमनसीबी है। इस तरफ यह हाऊस अपना ध्यान केन्द्रित करे तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को जागरूक करने के लिए कड़क स्ट्रिक्चर लगा कर यहां से भेजे। इतना ही कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

कुमारी सरोज खापर्डे: बहुत बहुत धन्यवाद, सर। आदरणीय प्रणव मुखर्जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठाया है। बड़े शर्म की बात है, आज सुबह उठते ही इंडियन एक्सप्रेस का यह समाचार पढ़ कर मन अत्यंत दुखी हो गया है और शर्म से गर्दन भी झुकी हुई है। अभी बिलकुल ठीक ही हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम सुनते हैं कि पशुओं का ऑक्शन होता है, जानवरों का ऑक्शन होता है लेकिन हमने यह कभी नहीं सुना कि महिलाओं का भी ऑक्शन होता है। आज पहली बार पता चला है कि महिलाओं का ऑक्शन एक ऐसे शहर में एक ऐसे राज्य में जहां हाईटेक की बात की जाती है और जो अपने आप को हाईटेक सिटी समझते हैं, होता है। आन्ध्र प्रदेश में आपने सुना होगा, प्रणव जी ने बड़े विस्तार से अपने विचारों को रखते हुए कहा कि ऐसी घिनौनी बात होती है।

जहां खरीदार भी मौजूद हैं और बिकने वाले भी मौजूद हैं। आज यह है 21वीं शताब्दी में जाते वक्त की महिलाओं की स्थिति। मुझे नहीं मालूम कि इसके आगे भी महिलाओं की क्या स्थिति बनने वाली है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगी और अपने आपको संबद्ध करना चाहूंगी कि हमारे केन्द्र के जो गृह मंत्री जी हैं उनके लिए इस चीज की इन्फरमेशन हासिल करना जरूरी है कि इस स्टेट में क्या इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और अगर ऐसी हो रही हैं तो उनके ऊपर उस राज्य के मुख्य मंत्री किस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। यह सारा जायजा वहां इस घटना के ऊपर लेकर सदन के सामने अपना बयान हमें दें ताकि हम असलियत क्या है उसके गोश्वारे को सामने रखकर उसके लिए कुछ अपने विचार रख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणव मुखर्जी के साथ मैं अपने आपको संबद्ध करते हुए अपने विचारों को समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

SHRIMATI CHANDRESH KUMARI (Himachal Pradesh): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on

this most important issue which was raised by Shri Pranab Mukherjee, our leader. It is a shame that, today, the flesh trade and slave trade is still going on in the State of Andhra Pradesh. We are not aware whether it is true or not. But, this is what the newspaper reports say; and it must be true. The photgraphs are also there to prove it. We have made laws to prevent sati. If these laws are violated, then, immediate action is taken against those people. Similarly, we have laws to protect the rights of women, and immediate action is taken against those persons who violate these laws. If the Government of Andhra Pradesh was aware that this is happening every year, then why did they not take precaution to see that this sort of thing does not happen? Our women are treated like doormats in their houses. I request the hon. Home Minister that a high-powered team should be sent from here for conducting a full inquiry into the case and the inquiry report should be laid on the Table of the House so that necessary rules and regulations could be made to protect the rights of women.

Sir, you will remember that the Jaipur double rape case was brought here, but the Government, intentionally, did not allow it to be discussed in Parliament. For four days, the women Members of all the political parties tries to bring it up for discussion in Parliament, but it was not allowed to be brought up here, and the poor girl, who was raped, was forced to change here statements, and then the case was dropped. Similarly, they will force these people who are victims in this sort of atrocity, and then the cases will be dropped. What has happened to the Ajmer case where young girls were sold to people for this sort of trade? Although the culprits were apprehended, no action was taken against them. Here, I would like to inform the House that Shri Vajpayjeeji, on T.V., said that he would like to give capital punishment to those people who are convicted in rape cases. बलात्कार के ऊपर वे कैपिटल पनिशमेंट देंगे। उसी टाइप से इन केसेज के ऊपर।

I demand that the people who are involved in this trade should be given capital punishment. Thank You.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): हथकड़ी तो पड़ने नहीं देते फिर पनिशमेंट मिलेगा। कहां से। (व्यवधान)

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): महोदय, हजारों साल से एक सामाजिक कुरीति के रूप में या सामाजिक व्यवस्था के रूप में महिलाओं की मंडियां लगती रही हैं चाहे मनु महाराज कहते हों कि स्त्री को पति के साथ विधवा होने के समय चिता में लेटना चाहिए .. (व्यवधान)

श्री के.आर. मलकानी (दिल्ली): हमको बताएंगी कि कहां मनु ने लिखा था ...(व्यवधान) आपने मनुस्मृति की बात की थी ..(व्यवधान)

श्रीमती वीणा वर्मा: सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ..(व्यवधान) द्रोपदी भी प्रताड़ित रही, गांधारी अपनी आंखों पर सारी जिंदगी पट्टी बांधे रही। उस समाज में हम आज 21वीं सदी में यही कर सकते हैं कि-

"शहर में बारात हो या वारदात, खुलती नहीं हैं खिड़कियां कभी भी"

दुष्यन्त कुमार का यह कपलेट है। मैं इस घटना के संदर्भ में सिर्फ यही कहना चाहूंगी मंत्री जी से कि यह तो बहुत ही शर्मनाक घटना है जो आंध्र प्रदेश में हुई है। आज के "जनसत्ता" अखबार के मुताबिक..।

अभी तक इस तरह के मामले एलुरू पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत 912 महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए। इस कानून के तहत इन महिलाओं पर सार्वजनिक स्थल पर अश्लील प्रदर्शन करने का आरोप इसमें लगा है। 882 को अदालत ने सजा सुनाई और 29 मामले कोर्ट के सामने विचाराधीन हैं। लेकिन हैरानी की बात है इसमें से सिर्फ19 मामले "गैर कानूनी देह व्यापार" कानून के तहत दर्ज किए गए और यह सीधे-सीधे तौर पर देह व्यापार के खिलाफ है और सिर्फ5 को सजा हुई और 14 मामले अदालत की सुनवाई की इंतजार में हैं। यह मैं "जनसत्ता" से कोट कर रही हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं और सदन के माध्यम से भी कि महिलाओं के मामले और खास तौर से

इस तरह के ईमोरल ट्रैफिक एक्ट व और भी अन्य मामले क्या हमारी होम मिनिस्ट्री और सरकार महिला कमीशन को व हर पुलिस डिपार्टमेंट को, न्यायालयों को यह आदेश करेगी कि महिलाओं के मामलों की सुनवाई होने के लिए स्पेशल कोर्ट्स महिला कोर्ट्स हों, फैमिली कौंसिलिंग सैन्टर्स हों और नेशनल विमेन कमीशन की जितनी सिफारिशें हैं, जितनी रिपोर्ट्स हैं उन पर जल्द एक्शन लिया जाएगा। एक और चीज़ जो माननीय चन्द्रेश जी ने अभी हमें बताई कि बहुत से रेप केसेज़ प्रमाणित ही नहीं होते। इस तरह का एक बिल भी मैं आज इन्ट्रोड्यूस करने जा रही हूं कि अनमैरिड वुमैन पर, जब भी कोई रेप होता है तो वह जिसका नाम लेती है, व्यक्ति या अपराधी का, तो उसका डी.एन.ए. टैस्ट कंप्लसरी करने पर सरकार विचार करे। अब तो आप दिल्ली के ही किसी अखबार को या किसी की भी कानाफूसी को सुन लें तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर सैक्स वर्कर्स का धंधा चल पड़ा है और बहुत बड़े स्तर पर महिला को नौकरियां दी जा रही हैं। टी.वी. फिल्म्ज़, दूरदर्शन के हमारे चैनलों और अब तो इंटरनेट सैक्स भी आ गया है। हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि अश्लील प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। पता नहीं किस तरह से फिल्मों में और दूरदर्शन पर इस तरह के गाने आते हैं उसको चैक करने के लिए हम लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते और न कोई एक्शन होता है। वैसे आवाज़ तो उठती भी रहती है और दूसरी तरफ "फायर" जैसी फिल्मों पर ...(व्यवधान) अब तो संस्कृति की परिभाषा भी हमें 22वीं सदी में जाने से पहले निश्चित करनी होगी।

अंत में मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रापर्टी राइट इन द हसबैंड्स प्रापर्टी ...(व्यवधान) आन्ध्र में ही नहीं, राजस्थान में भी ...(व्यवधान) आन्ध्र में तो औरतों की नीलामी होती है, सैक्स मंडियों की भी, औरतों की सैक्स मंडियां हैं। लेकिन राजस्थान के बार्डर एरिया में भी इस तरह का धंधा चलता है और बहुत बड़ी संख्या में बच्चियों को बाहर भेज रहे हैं। कोई कानून नहीं है। उस तरह के कोई गैंग पकड़े नहीं जाते हैं। बच्चियां बिकती हैं और बाहर ले जाई जाती हैं। इसके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। आज तक कोई गैंग पकड़ा नहीं गया। आंध्र की मंडियों के ऊपर आज प्रणव जी ने जो विशेष उल्लेख उठाया है इस संबंध में मैं यह भी मांग करुंगी कि जल्द से जल्द इस तरह की जहां कहीं और भी मंडियां लगती है, किसी-किसी स्टेट में तो उस पर भी विचार किया जाए और फोरन उनको भी पकड़ा जाए और दोषियों को सजा दो जाए, जो कि बहुत जरुरी है। धन्यवाद।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : सभापति जी, अभी माननीय मुखर्जी साहब ने जो सवाल उठाया, वह अत्यंत ही दुखद है। कहा जाता है कि मानव समाज का निरंतर विकास हुआ है और पहले से अधिक सुसंस्कृत और सभ्य हुआ है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में महिलाओं की नीलामी का छपा समाचार हमारी सभ्यता और संस्कृति को मुंह चिढ़ाने वाला साबित हुआ है।

महोदय, यह बहुत दुख की बात है कि आजादी के 50 साल बाद भी महिलाएं अभी तक अपनी प्रापर्टी और अपने सम्मान की मालिक नहीं हुई। अंधेर यह है कि वह अपने शरीर तक की भी मालिक नहीं बन पाई। आज भी उस के शरीर, उस के देह का मालिक पुरुषवर्ग ही है। आज भी उस के शरीर को बेचने का और खरीदने का काम दूसरे लोगों यानी पुरुषों के हाथ में ही है। यह बहुत ही शर्मनाक और घिनौनी बात है। इस की जितनी भी निन्दा की जाए, कम है।

महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने महिलाओं की नीलामी के बारे में दखल देने का काम किया। मैं आप के माध्यम से प्रत्येक माननीय सदस्य से कृपा करके महिलाओं की बेइज्जती और महिलाओं के सम्मान व अस्तित्व से जुड़े मामले को राजनीतिक रूप या प्रांतवाद का रूप देने की कोशिश न करे क्योंकि महिला चाहे किसी भी प्रांत की हो पहले महिला है। वह आप की मां हैं, आप की बहन है, आप की बहू है, आप की बेटी हैं। इसलिये उस की जहां-कहीं भी बेइज्जती होती है तो आप सब लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि उस का जोरदार शब्दों में कड़ा विरोध करें।

सभापति जी, महिलाओं के संबंध में जो भी कायदे-कानून बनाए गए वह सब बिल्कुल निराधार और अव्यवहारिक साबित हुए हैं एक अध्ययन के मुताबिक वेश्यावृत्ति इस समय सब से बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में विकसित हो रहा है और उस बाजार में लड़कियों को चाहे वह 12 साल की हो या 14 साल की हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में झोंक दिया जाता है। यही कारण है कि 20 से 25 लाख महिलाएं प्रतिवर्ष इस बाजार में डाल दी जाती है और उन का जिस तरह से शोषण होता है उस का अगर हम लोग बयान करने लगे तो यह सदन आंसुओं में

डूब जायेगा। महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय और मार्मिक है जितनी कि जानवर की भी नहीं है। जानवर की तो आदमी सेवा करता है, देखभाल करता है, लेकिन महिलाओं की लड़ाई घर के चूल्हे से शुरु होकर राजनीति के क्षेत्र तक चलती है। उसके शरीर का प्रदर्शन कर के, उस की अधनंगी फोटो दिखाकर हमारे व्यापारी माल बेच रहे है। सिनेमा वाले उस के शरीर का नग्न प्रदर्शन कर अपनी फिल्में बेच रहे है। सभापति जी, जिस अश्लील फूहड़ और अभद्र तरीके से महिलाओं के शरीर का प्रदर्शन करवाया जा रहा है, यह सब बड़ा सोचनीय विषय है और इस का मुख्य कारण आर्थिक विवशता है। इस का कारण महिलाओं का समाज में दोयम दर्जे का नागरिक होना और हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरुरत से कम होना है। खास तौर से बैकवर्ड, मायनारिटी, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की स्थिति जो बेहद खराब है। महोदय आज इंडियन एक्सप्रेस मे जो समाचार छपा है उस में कितनी सच्चाई है, उसमें मैं नहीं जाना चाहती लेकिन इस की कड़ी जांच होनी चाहिए।

परंतु अगर ऐसा दुष्कृत्य किया गया है तो केवल उन महिलाओं को सजा नहीं होनी चाहिए बल्कि उन पुरुषों को भी सजा मिलनी चाहिए जोकि उसे बेचने, खरीदने और उपभोग करने का काम करते हैं आम तौर पर होता यह है कि अगर कोई महिला वेश्यालय या कहीं भी पकड़ी जाती है तो केवल महिला की सजा होती है। उस पुरुष के लिए सजा का प्रावधान नहीं है जो कि उसका शोषण करता है। मैं आप से अनुरोध करना चाहुंगी कि गृह मंत्री जी को इस मामले की कड़ाई से जांच कराने का निर्देश दें ताकि इस प्रकार की नीलामी की पुनरावृत्ति न होने पाए। साथ ही इस संबंध में भी कुछ स्थाई कदम भी उठाए जाने चाहिए ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर ही सके क्योकि आत्मनिर्भर होने से उन का आत्म-विश्वास बढ़ता है और वह किसी भी व्यापारी, किसी भी दलाल का मुकाबला करने में समर्थ हो जाएगी।

सभापति जी, मैं इस कांड की अत्यधिक निन्दा करती हूं और फिर एक बार आपसे अनुरोध करती हूं कि इस कांड की कड़ाई से जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को कड़ी-से-कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार) : माननीय सभापति जी, यह एक बडे दर्दनाक हादसे की सूचना आज के अखबारों में आई है। यह इंडियन एक्सप्रेस के साथ-साथ जनसत्ता में भी मुखपृष्ठ पर नीचे छपी है।

महोदय, मैं सब से पहले पूरे सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमें दलील भावना से विचार नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे विषय हुआ करते है, कुछ ऐसे मुद्दे हुआ करते है जोकि किसी भी दल से ऊपर हैं और दल की दीवार और दलील भावना से ऊपर उठकर हम को इस विषय पर विचार करना चाहिए।

अभी एक साथी बोल रहे थे कि आप भी महिला हैं क्या ? सवाल महिला और पुरुष का नहीं है, महिला का सवाल पुरुष का सवाल है और पुरुष का सवाल महिला का सवाल है, यह पूरे समाज का सवाल है और इंसानियत का सवाल है। इस देश में अपने को इंसान कहलाने वाले जो लोग हैं या नेता हैं, ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में खबर पाकर के अगर मर्माहत नहीं होते, उनकी मानवीय भावना नहीं जागती तो मैं समझता हूं कि उन्हें इंसान कहलाने का हक नहीं है।

सभापति महोदय, इस घटना के बारे में जो समाचार आया है, उसमें यह है कि आंध्र प्रदेश के एल्लुर जिला का जो मुख्यालय है, वहां प्रतिवर्ष इस तरह खुलेआम महिलाओं को बिड के जरिए, डांक बोल कर उनकी खरीद और बिक्री हुआ करती है और फिर एक साल के बाद उनको लौटा दिया जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा अखबार में है, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। अगर इस तरह की अमानवीय और क्रूर घटनाएं इस देश के किसी भाग में घट रही हैं तो यह हम सब के लिए बड़ी ही शर्मनाक है, दर्दनाक है। मैं केन्द्र सरकार से और राज्य सरकार से इस सदन के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए कि क्या सचमुच में ऐसी घटनाएं होती रही हैं और अगर होती रही है तो सरकार ने इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की? कानून जो बने हुए है क्या उसकी यह खुलेआम अवहेलना नहीं हो रही है? क्या देश के दूसरे राज्यों में भी कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं घटी हैं या जारी है? हम में से, आप में से कुछ लोगों को ऐसी खबर मिलती रहती है। यह प्रोस्टीट्युशन, जिसको कहते हैं वेश्यावृति, इसे कानून के जरिए देश से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन नया टेकनीक आया है कि वेश्यालय जहां इसे कानून के जरिए देश से समाप्त कर दिया गया है,

लेकिन नया टेकनीक आया है कि वेश्यालय जहां समाप्त हैं वहां साईन बोर्ड लगा दिया गए है कि यह नर्तकी हैं और नर्तकी के नाम पर उनका शोषण, यौन शोषण, यौन व्यापार जारी है। क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। अगर नहीं है, तो क्या वह अपनी एजेन्सियों के माध्यम से इसकी जानकारी लेंगी और कार्यवाही करेंगी?

सभापति महोदय, हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गुणगान करते है, लेकिन आज इस भारतीय समाज में जो नई संस्कृति और सभ्यता जागी है यह भारतीय समाज की जो पोराणिक, अच्छी सभ्यता और संस्कृति है क्या उसमें कहीं मेल खाती है? अगर मेल नहीं खाती तो जो देश में वेश्यावृति आज दूसरे नाम से, नर्तकी नाम से देश के विभिन्न हिस्सों में जगह जारी है, इस सच्चाई से हम और आप अवगत हैं या नहीं? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए चाहूंगा कि यहां से इनको यह हिदायत दी जाए कि इसकी सही छानबीन की जाए और जो नर्तकी के नाम पर वेश्यावृति खुलेआम जारी है इसको रोका जाए। इसके साथ- साथ इस तरह से जो महिलाओं की खुलेआम खरीद-बिकी हो रही है, उसको भी रोका जाए।

सभापति महोदय, आज देश इक्कीसवीं सदी में जा रहे हैं और हम इन घटनाओं के माध्यम से किस सदी में पहुंच रहे हैं? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बहुत ही दुखी हूं ऐसी घटनाओं से और मैं अपनी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इसमें साथ है, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इस संबंध में कठोर से कठोर कार्यवाही करें ताकि इस तरह की कोई दूसरी सूचना अखबारों में पुनः न आए। इसके लिए एक कठोर कदम जरूरी है। यह जो बार बार इस तरह की घटनाएं घटती रहती है और इस माननीय सदन में हम और आप, पक्ष और विपक्ष से वाद, प्रतिवाद करते है, यह उचित नहीं है। सच्चाई को कबूल करना चाहिए। मैं किसी राज्य सरकार पर दोष नहीं लगाता क्योंकि यह बातें जो अखबार में आई है, यह बाते तो वर्षों से जारी है और इसलिए टी.डी.पी. के सदस्यों को इससे बहुत घबड़ाना नहीं चाहिए। अगर यह घटना सही है तो हम सबको मिलकर इस घटना की निंदा करनी चाहिए और सरकार से आग्रह करना चाहिए कि वह कदम उठाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे कानूनी और व्यावहारिक तरीके से समाज से इस बुराई को दूर करने की व्यवस्था केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा होनी चाहिए। ऐसा एक अच्छा संदेश इस सदन से पूरे देश की जनता को जाना चाहिए, प्रशासन को जाना चाहिए।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपने आपको प्रणव मुखर्जी साहब के मेंशन के साथ संबद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

†اشرفی جلال الدین انصاری "بہار": مانیہ سبھاپتی جی، یہ ایک بڑے دردناک حادثے کی سوچنا آج کے اخباروں میں آئی ہے۔ یہ "انڈین ایکسپریس" کے ساتھ ساتھ "جن ستا" میں بھی صفحہ پر نیچے چھپی ہے۔

مہودے، میں سب سے پہلے پورے سدن سے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وشے ہے جس پر ہمیں دیئے بھاونا سے وچار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے وشے ہوا کرتے ہیں، کچھ ایسے مدے ہوا کرتے ہیں جو کہ کسی بھی دل سے اوپر ہیں اور دل کی دیوار اوو دیئے بھاونا سے اوپر اٹھکر ہمکو اس وشے پر وچار کرنا چاہیے۔ ابھی ایک ساتھی بول رہے تھے کہ آپ بھی مہیلا ہیں کیا؟ سوال مہیلا اور پروش کا نہیں ہے، مہیلا کا سوال پروش کا سوال ہے اور پروش کا سوال مہیلا کا سوال ہے۔ یہ پورے سماج کا سوال ہے اور انسانیت

†[ ]Transilteration in Arabic Script

کیوں نہیں کی۔ قانون جو بنے ہوئے ہیں کیا اس کی کھلے عام خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا دیش کے دوسرے راجیوں میں اس طرح کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں یا جاری ہیں؟ ہم میں سے، آپ میں کچھ لوگوں کو ایسی خبر ملتی رہتی ہے یہ پروسٹی ٹیوشن جس کو کہتے ہیں "ویشیاورتی"۔ اسے قانون کے ذریعہ دیش سے سماپت کر دیا گیا ہے۔ لیکن نیا ٹیکنیک آیا ہے کہ ویشیالیہ جہاں پر غلط ہیں وہاں سائن بورڈ لگا دئے گئے ہیں کہ یہ "نرتکی" ہیں۔ اور نرتکی کے نام پر انکا شوشن، یون شوشن، یون ویاپار جاری ہے۔ کیا کیندر سرکار اور راجیہ سرکار کو اسکی جانکاری نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیا وہ اپنی انٹیلیجنس کے مادھیم سے اسکی جانکاری نہیں لیں گے اور کارروائی نہیں کریں گی۔

سبھاپتی مہودے، ہم اپنی بھارتی سبھیتا اور سنسکرتی کا گان گیان کرتے ہیں لیکن آج اس بھارتیہ سماج میں جو نئی سنسکرتی اور سبھیتا جاگی ہے یہ بھارتیہ سماج کی جو 'پورانک' اچھی سبھیتا اور سنسکرتی ہے، کیا اس سے کہیں میل کھاتی ہے؟ اگر میل نہیں کھاتی تو جو دیش میں ویشیاورتی آج دوسرے نام سے، نرتکی نام

کا سوال ہے۔ اس دیش میں اپنے کو انسان کہلانے والے جو لوگ ہیں یا نیتا ہیں ایسی شرمناک گھٹنا کے بارے میں خبر پا کر کے اگر "مرماہت" نہیں ہوتا تو کم سے کم مانو یہ بھاؤنا نہیں جاگتی تو میں سمجھتا ہوں انہیں انسان کہلانے کا حق نہیں ہے۔

سبھاپتی مہودے، اس گھٹنا کے

بارے میں جو سماچار آیا ہے اس میں یہ ہے کہ آندھرا پردیش کے 'ایلور' ضلع کا ماکھالیہ ہے وہاں ہر سال اس طرح مہیلاؤں کو پیشہ کے ذریعہ ڈانٹ بول کر ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور پھر ایک سال کے بعد انکو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات اخبار میں ہے اسلئے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اگر اس طرح کی نجی انسانی اتھ کرور گھٹنائیں اس ملک کے کسی حصے میں ہو رہی ہیں تو یہ ہم سب کے لئے بڑی ہی شرمناک بات ہے دردناک ہے۔ میں کیندر سرکار سے اور راجیہ سرکار سے اس سدن کے مادھیم سے، مانیہ سبھاپتی مہودے آپ کے مادھیم سے، کہنا چاہتا ہوں کہ اسکی جانچ کی جائے کہ کیا سچ مچ ایسی گھٹنائیں ہوتی رہی ہیں اور اگر ہوتی رہی ہیں تو سرکار نے اس پر کارروائی

ایس مانیئے سدن میں ہم اور آپ، پلیش اور وپلیش سے واد، پرتی واد کرتے ہیں، یہ اچت نہیں ہے۔ سچائی کو سویکار کرنا چاہیئے۔ میں سبھی راجیہ سرکار پردوش

نہیں لگاتا کیونکہ یہ باتیں جو اخبار میں آئی ہیں، یہ باتیں تو ورشوں سے جاری ہیں، اور اس لئے ڈی ڈی بی کے سدسیوں کو اس سے بہت گھبرانا نہیں چاہیئے۔ اگر

یہ گھٹنا صحیح ہے تو ہم سب کو ملکر اس گھٹنا کی نندا کرنی چاہیئے۔ اور سرکار سے آگرہ کرنا چاہیئے کہ وہ قدم اٹھائے تاکہ بھوشیہ میں اس طرح کی گھٹنا نہ گھٹے۔ قانونی اور

ویاوہارک طریقہ سے سماج سے اس برائی کو دور کرنے کی ویوستھا کیندر اور راجیہ سرکار کے ذریعہ ہونی چاہیئے۔ ایسا ایک

اچھا سنودیش اس سدن سے پورے دیش کی جنتا کو جانا چاہیئے، پرشاسن کو جانا چاہیئے۔

انھیں شبدوں کے ساتھ میں اپنے آپکو پرنب مکھرجی صاحب کے مینشن کے ساتھ سمبدھ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ "ختم شد"

سے ملک کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ جاری ہیں، اس سچائی سے ہم اور آپ آگاہ ہیں یا نہیں؟ مانیہ سبھاپتی مہودے میں آپکے مادھیم سے گرہ منترالیہ، کیندر سرکار اور راجیہ سرکاروں کے لئے چاہوں گا کہ یہاں سے تو یہ ہوا یت جائے کہ اسکی صحیح چھان بین کی جائے، اور یہ جو "نرتکی نام پرویشیا ورتی" کے نام جاری ہے اسکو روکا جائے۔ اسکے ساتھ ساتھ اس طرح سے جو مہیلاؤں کی کھلے عام خرید و فروخت ہو رہی ہے، اسکو بھی روکا جائے۔

سبھاپتی مہودے۔ آج دیش ۲۱ ویں صدی میں جا رہا ہے اور ہم ان گھٹناؤں کے مادھیم سے کس صدی میں پہنچ رہے ہیں؟ میں آپکا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن میں بہت ہی دکھ کے ایسی گھٹناؤں سے اور میں اپنی پارٹی بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے یہ آشوا سن دیتا ہوں کہ ہم اس میں ساتھ ہیں، کیندر اور راجیہ سرکاریں اس سمبندھ میں کٹھور سے کٹھور کارروائی کریں تاکہ اس طرح کی کوئی دوسری سوچنا اخباروں میں دوبارہ نہیں آئے۔ اسکے لئے ایک کٹھور قدم ضروری ہے۔ یہ جو بار بار اس طرح کی گھٹنائیں گھٹتی ہیں اور

KUMARI NIRMALA DESHPANDE (Nominated): Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to make an appeal to all the Members of this august House that this is an issue which is above party, above creed, above caste and above everything. All the Members should join not only in condemning it, but also in helping both the State Governments and the Central Government to take measures so that such things are not repeated. I would also like to say that the voluntary agencies can, and should, play a part in trying to stop all such activities. So, the State Governments, Members of this august House and the voluntary agencies should join and see that such things are not repeated. Thank you.

श्री जितेन्द्र प्रसाद: सभापति महोदय, सारे सदन की भावनाओं को आपने सुना है। इस घटना की सभी ने घोर निंदा की है। महोदय, केन्द्रीय सरकार के मंत्री यहां बैठे हुए हैं। वे सदन को आश्वासन दें कि जांच करेंगे और फैक्ट्स लेकर सदन के सामने आएंगे। इस विषय को इस तरह खामोशी से टाला नहीं जा सकता। यह कोई मामूली स्पैशल मैंशन नहीं है ...(**व्यवधान**) उन्हें आश्वासन देना चाहिए ...(**व्यवधान**)

MISS SAROJ KHAPARDE: Sir, let the ruling party respond to this.

श्री सभापति: ठीक है, बाकी मेंबर्स को भी बोलने दीजिए। बाकी मेंबर्स भी बोलना चाहते हैं।

डा. वाई लक्ष्मी प्रसाद (आंध्र प्रदेश): सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह अत्यंत ही दुर्भाग्य की बात है। आदरणीय प्रणव मुखर्जी जी ने जो मुद्दा उठाया है और आदरणीय सरोज खापर्डे जी ने कहा कि आज सवेरे उठते ही इंडियन एक्सप्रैस के इस न्यूज आइटम को देखकर शर्म से सिर झुक गया। यह सही बात है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल आंध्र प्रदेश का सवाल नहीं है, यह पूरे भारत का सवाल है, पूरे विश्व का सवाल है।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी के शब्दों में–

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,

आंचल में है दूध और आंखों में पानी।"

उन दिनों से लेकर आज तक यही दशा नारी की रही है।

सभापति महोदय, इसी न्यूज आइटम के अंत में यह कहा गया है कि–

During the 10-month period ending October 31, petty cases under Section 294 of the IPC were booked against 912 women in the district on the charge of "doing obscene acts to the annoyance of others in public places." Of them, 882 were convicted. However, only 19 cases under the Prevention of Immoral Trafficking Act were booked against brothel-keepers.

सभापति महोदय, यही असली बात है। दो रूपों में नारी के साथ अन्याय हो रहा है। ये नीलामी में बेची जा रही हैं और दोषी पीढ़ी खड़ी कर रही हैं और उसी को शिक्षा भी दे रही हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार को और राज्य सरकारों को यह देखना है कि ये ब्रोथल हाउसकीपर्स और माफिया रैकेट्स जो औरतों को, लड़कियों को अपने घर से लालच दिखाकर बाहर लाते हैं, उस बिंदु पर हमें अतिरिक्त ध्यान देना है। मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि इस दिशा में हरसंभव कदम उठाने में आंध्र प्रदेश की सरकार किसी दूसरे राज्य की सरकार से पीछे नहीं हटेगी।

श्रीमती जयप्रदा नाहटा (आंध्र प्रदेश): सभापति महोदय, आज जिस घटना पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं, मैं महिला होने के नाते इसके बारे में बहुत चिंतित हूं। महिलाओं की रक्षा करना किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समाज का फर्ज बनता है और मैं यह कहना चाहती हूं कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में कहां-कहां हो रही हैं, यह तो हमें नहीं मालूम लेकिन आज आंध्र प्रदेश की जिस घटना की चर्चा हम कर रहे हैं, जो आज का न्यूज आइटम है, उसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि आन्ध्र में हुई इस घटना को राजनीतिक रंग जोड़कर जो आज चर्चा कर हैं यह सही नहीं है, क्योंकि मैं इस मौके पर इस सदन को यह कहना चाहती हूं कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडु जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, कर रहे हैं क्योंकि महिलाओं की रक्षा करने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति और उन्नति बढ़ाने के लिए बहुत कुछ स्कीम भी उन्होंने इंट्रोड्यूज की है और यहां के जितने भी लोग हैं अखबार में हर रोज पढ़ते रहते हैं तो उन सबको मालूम है कि महिलाओं को बहुत इम्पोर्टेंट देने के लिए वह बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि महिलाओं की आज जो स्थिति पैदा हुई है यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह कई सालों से स्थिति पैदा हुई है किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। मैं आपके सामने यही कहना चाहती हूं कि महिलाओं की रक्षा करने के लिए हमको एक स्थिति, एक पोजिशन चाहिए लेकिन उस पोजिशन के लिए हम कितनी बार

मुकाबला करें, कितनी बार लड़ रहे हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज मैं मिसाल के तौर पर एक बात कहना चाहती हूं कि कल "फायर" फिल्म के लिए इतनी चर्चा हुई है लेकिन महिलाओं की स्थिति के लिए और महिलाओं के आरक्षण के बारे में हमने बहुत बार इस सदन के सामने रखा है लेकिन कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। यह क्यों ना-इंसाफी हो रही है? तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि आन्ध्र प्रदेश में सोसायटी में किसी औरत को कोई स्थिति पैदा हुई है तो यह सोसायटी को ब्लेम करना बहुत जरूरी बात है। तो मैं आपसे यह गुजारिश कर रही हूं कि आन्ध्र प्रदेश में जो हादसा हुआ है उसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं और मैं ही नहीं आन्ध्र प्रदेश का हर एक इंसान चिंतित है और आगे भी यह घटनाएं समाज में नहीं होने देना चाहिए, इसके लिए जो भी कार्रवाई शुरू करनी है मैं आन्ध्र प्रदेश की सरकार से गुजारिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी कार्रवाही हो जाए। धन्यवाद।

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Sir, I fully share the serious concern expressed on the news item published in one English newspaper—*The Indian Express*. A Hindi newspaper, which also belongs to *The Indian Express*, as has been mentioned by some hon. Members, has also published this item. Sir, if it is a fact, I will also join with all the hon. Members in condemning it very seriously and in demanding the State and Central Governments to take a stringent action against the culprits. Sir, I do not now for how long this has been going on in the State, but as per the news item, it has been going on at different places in the State for months and years. Every year this *Mandi* is organised, the report says. Recently a session of the Assembly was held for 15 days. If this had been going on for months together, or years together, it should have been discussed in the State Assembly. Definitely, Members from the ruling party and the Opposition party should have brought up this issue in the Assembly. So, I would say with authority that it has not been happening for years together or months together. Of course, I would not say about what happened yesterday, but if it is a fact, as has been reported, I would fully share the concern with other Members and condemn it. (*Interruptions*)

MISS SAROJ KHAPARDE: In Andhra Pradesh, they sell women to Saudi Arabia and to other countries. It is strange that they are saying that they do not know if it has been happening in the State.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Even women Members are there in the Andhra Pradesh Assembly, but they could not see what we could see through *The Indian Express*.

1.00 P.M.

Since months together or years together, nothing is happening like that. It might have happened. I can't say. I do not know. When I saw this news item in the newspaper I had expressed my serious concern along with other Members. It is not a question of politics by the TDP or the BJP or the Congress. It is a question of women's pride. Everyone must hold them in respect. Our Government is taking many steps for the upliftment of women and for the empowerment of women. I think Andhra Pradesh State Assembly is the only Assembly which had passed a resolution demanding the Central Government and the Parliament to provide one-third reservation for women in all the elected bodies. They had passed a unanimous resolution and sent it to the Central Government. We respect women's pride. I would also like to bring to the notice of the House that it was only our former leader, Mr. N.T. Rama Rao, who had enacted a law. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR (Gujarat): We are not discussing about Rama Rao here.

MR. CHAIRMAN: Let him speak. ...(*Interruptions*)... Let him speak. ...(*Interruptions*)... Let him speak.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Sir, what I wanted to say is, we respect women much more than any other political party. That is what I wanted to submit.

श्रीमती सरोज दुबे: सर, ये गलत बातें बोल रहे हैं।.. ...ये गलत बातें बोल रहे हैं।....मैं इनका विरोध करती हूं। .....(व्यवधान).....

श्री सभापति: शत्रुघ्न सिन्हा.....शत्रुघ्न सिन्हा, आप बोलिए।

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: I also request the Central Government, through you, to investigate the matter. I am sure the Central Government

which is committed to the empowerment of women and the State Government which is much more committed to the empowerment of women would take stringent action against those responsible for it. We are ready for an investigation. After the investigation is over, after the report is received, our friends from that side who wanted to politicise this issue unnecessarily and hurriedly, would feel sorry and realise their mistake. This is not a fact. This is a false report. If it is a fact, I also equally condemn this incident.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (बिहार): सभापति महोदय, प्रणव बाबू ने जो बातें उठाईं, वे बातें दरअसल जो आज के अखबार में खबर आई, उस पर आधारित हैं लेकिन बहुत सारी खबरें अखबार में नहीं भी आ रही होंगी। यह भी हो सकता है कि आज जो खबर अखबार में आई हो, वह शायद सत्य न भी हो लेकिन यह कड़वी सच्चाई जो प्रणव बाबू ने कही है, जो मिसेज दुबे ने कही, जो मिसेज वीणा वर्मा ने कही कि आज के दिन भी ऐसी खबरों का आना, ऐसी घटनाओं का घटित होना जहां नारी हमारी मां-बहनें, हमारे घर की बहू-बेटियां हैं, जिस नारी का समाज में देवी का स्थान माना जाता है, देवी का रूप, उसके ऊपर आज इस तरह का अत्याचार, बलात्कार, इस तरह उन्हें नंगा करना, इस तरह उन्हें ज़लील करना, चौराहे पर इस तरह उनसे बदला लेना, उनका शोषण करना वाकयी बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक है। समाज और सरकार दोनों इससे अपने आप को वंचित नहीं रख सकते। इस बात को मैं ज्यादा पोलिटिकलाइज़ नहीं करना चाह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वक्त दिया लेकिन मैं इस दर्द को महसूस करता हूं कि आज के दिन यह जो घटना घट रही है, इसकी न सिर्फ रोकथाम होनी चाहिए बल्कि ऐसी घटनाओं के लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं, ऐसी घटनाओं के लिए उनको एक्ज़ेम्प्लरी सबक मिलना चाहिए।

मैं इसके बहुत ज्यादा कारणों में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए, यह समाज का मामला है, परिवार की बहू-बेटियों का मामला है। यह किसी पार्टी या किसी खास मज़हब का मामला नहीं है, किसी खास जाति का मामला नहीं है। सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा सिनेमा पर डालना भी ठीक नहीं है। हमारे सिनेमा में सास बहू को नहीं जलाती है, हमारे सिनेमा में हमारा हीरो दहेज नहीं लेता है, हमारे सिनेमा में हमारे जो लोग हैं, वे समाज में नारी के अत्याचार के खिलाफ उसके शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, बचाव करते हैं। बहरहाल कारण कुछ भी हो, इस वक्त हम निवारण की बात कर रहे हैं। कारण पर ज्यादा ध्यान न देते हुए, ऐसा न हो, इसके लिए मैं जरूर समाज के साथ खासकर सरकार को अपील करता हूं कि न सिर्फ इसकी आगे रोकथाम हो बल्कि मैं खासकर यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार इसके लिए स्पैशल कोर्ट्स, स्पैशल अदालत का गठन करे ताकि यह मामले–जो कन्याओं पर अत्याचार होते हैं, नारियों पर अत्याचार होते हैं–वह बहुत लम्बे न हों। मैं अपनी सरकार से यह विशेष अपील कर रहा हूं कि इन बातों पर निगरानी रखते हुए ऐसी घटनाओं को घटित होने से रोके और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाते हुए उनके लिए सजा का प्रावधान करे। साथ-साथ स्पैशल अदालत का गठन हो ताकि ऐसे मामलों की सुनवाई हो सके और उनका जल्द से जल्द निपटारा हो सके जिससे हमारे यहां महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, उन्हें बार-बार अदालत और लोगों के सामने और ज्यादा जलील होने से बचाया जा सके। मैं अपील करता हूं कि सरकार इसकी गहराई से जांच-पड़ताल करे और इस मामले पर जल्द से जल्द न सिर्फ रोक लगाए, अंकुश लगाए बल्कि जो लोग दोषी हैं, उन्हें ऐग्ज़ैपलरी पनिशमैंट मिले। इसके लिए स्पैशल अदालतों का गठन हो और पुलिस स्टेशन भी स्पैशल तरीके से ऐसे मामलों को डील करें। मैं प्रणव जी और बाकी से अपने आपको संबद्ध करता हूं। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, it is 1.05. The question is, we have some others....(*Interruptions*).

SHRI NILOTPAL BASU: The Government should come back....(*Interruptions*).

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): An investigation should be ordered immediately...(*Interruptions*).

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILISERS AND MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): Mr. Chairman, this news which appeared in some of the papers is very alarming. I am glad that it has been mentioned in the House. But, somehow, political overtones were also there. That should not be there. In fact, this is a matter which should be above politics. No politics should be involved. It does not happen in one State only. Somehow, news has come from one State. Such unfortunate things must be happening in other

States also. It is not a particular State that is involved in this. In many other States also, the same thing must be happening. The news has only appeared regarding one State. Sir, I would request the hon. Home Minister to inquire into the matter and find out what the real facts are and try to curb the menace that is prevalent. ...(*Interruptions*).

SHRI PRANAB MUKHERJEE: And communicate to this House also.

SHRI S.S. BARNALA: He will naturally report to the House also. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock

[The Vice-Chairman (Shri T.N. Chaturvedi) in the Chair].

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Shri S. Viduthalai Virumbi.

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR (Gujarat); Mr. Vice-Chairman, Sir, there is no Minister. ...(*Interruptions*)... Nobody is there, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VEENA VERMA: No Minister is there. ...(*Interruptions*)... Sir, we have been insulted. ...(*Interruptions*)... The House is being insulted. ...(*Interruptions*)...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): They will be coming. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): I have just been informed by Mr. Rajagopal that the Ministers are coming.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: He will be in charge of the whole Cabinet! ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): In order to save time, let us start. The Ministers will join us.

(Interruptions)

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Sir, they should not take us for granted. ...(*Interruptions*)... Sir, for us, there is no problem, but the House should not be taken for granted. ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, some Cabinet Minister has to be there. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Then, I think, I should adjourn the House for five minutes. I adjourn the House for five minutes.

The House then adjourned at six minutes past two of the clock.

The House reassembled at nine minutes past two of the clock **[The Vice-Chairman (Shri T.N. Chaturvedi), in the Chair.]**

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): सर, आप ऐसे लोगों को शपथ दिलवाइये जो हाऊस में रहें। जिनको दिलवाते हैं, वह हाऊस में नहीं रहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी): अभी जो आपके पास काम है ज़रा उस तरफ ध्यान दीजिये ताकि वह समय से खत्म हो जाए।

Strained industrial relations in Electrical multiple unit and loco workshop at Tambaram

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to raise an important issue that is disturbing the minds of 800 workers in the Electrical Multiple Unit and Loco Workshop at Tambaram near Chennai. Strained industrial relations are prevailing there for the last two months. In the month of July some 30 artisan staff were promoted and transfer orders were issued to them. Out of that, some people joined the job which was assigned to them. But some people could not join the new assignment because they had not been relieved by the authorities concerned. It was not the fault of the workers. In spite of that, their incremental salary had been witheld by the Railway authorities. They actually came to know about it in the following month, that is, in the month of August. When they came to know that their incremental salary had been withheld, they approached the officials and the officials informed them that it was withheld because they had not joined the new job.

Responsible leaders of the labour unions informed the authorities that this was not the mistake of the workers, that the people who